

अध्याय— IV

वाहनों पर कर

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण

इस अध्याय में हमने जिला परिवहन कार्यालयों में वर्ष 2012-13 के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली आदि से संबंधित अवलोकनों से चयनित ₹ 11.36 करोड़ के दृष्टांतस्वरूप कुछ मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली/सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

यह चिन्ता का विषय है कि पूर्व में भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी।

हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह के चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, जिला परिवहन पदाधिकारी इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ रहे।

प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2012-13 में बजट आकलन की तुलना में वाहनों पर करों के संग्रहण में यद्यपि 4.50 प्रतिशत की वृद्धि आई, परन्तु राज्य के कुल कर राजस्व में वाहनों पर कर से प्राप्ति की प्रतिशतता में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई।

वर्ष 2012-13 के दौरान हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2012-13 में वाहनों पर करों से संबंधित 39 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमलोगों ने ₹ 15.53 करोड़ से सन्निहित 158 मामलों में कर का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, राजस्व की वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली एवं अन्य त्रुटियाँ पाया।

विभाग ने 32 मामलों में सन्निहित ₹ 2.10 करोड़ के राजस्व का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 1.68 करोड़ से सन्निहित 27 मामले वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

हमारा निष्कर्ष

विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र की कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा पाए गए चूकों को भविष्य में टाला जाए।

कम-से-कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय-IV : वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ¹ क्षेत्रों एवं 38 जिलों में बाँटा गया है जिन पर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

4.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बजट आकलन तथा वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

तालिका-4.1

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता वृद्धि (+)/ हास (-)	भिन्नता की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	(₹ करोड़ में)
						कुल कर प्राप्तियों (स्तंभ-6) की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियाँ (स्तंभ-3) की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2008-09	256.60	297.74	(+) 41.14	(+) 16.03	6,172.74	4.82
2009-10	355.00	345.13	(-) 9.87	(-) 2.78	8,089.67	4.27
2010-11	550.00	455.43	(-) 94.57	(-) 17.19	9,869.85	4.61
2011-12	537.00	569.13	(+) 32.13	(+) 5.98	12,612.10	4.51
2012-13	644.40	673.39	(+) 28.99	(+) 4.50	16,253.08	4.14

(स्रोत: राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत), वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012-13 में बजट आकलन की तुलना में वाहनों पर कर के संग्रहण में यद्यपि 4.50 प्रतिशत की वृद्धि आई, परन्तु राज्य के कुल कर राजस्व में वाहनों पर कर से प्राप्ति की प्रतिशतता वर्ष 2010-11 को छोड़ पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई।

¹ भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और वैशाली।

4.3 संग्रहण की लागत

वाहनों पर कर से प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

तालिका-4.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008-09	297.74	6.95	2.33	2.58
2009-10	345.13	10.41	3.02	2.93
2010-11	455.43	16.92	3.72	3.07
2011-12	569.13	22.31	3.92	3.71
2012-13	673.39	25.28	3.75	2.96

(स्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान, संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाए।

4.4 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को वाहनों पर कर से संबंधित राजस्व के बकाये ₹ 185.47 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 113.06 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाये थे। जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित (अगस्त 2013) किया गया था, ₹ 185.47 करोड़ की उपरोक्त राशि राजस्व वसूली नीलामपत्रवाद के अधीन थे। निम्न तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को दर्शाता है:

तालिका-4.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान शामिल राशि	वर्ष के दौरान संग्रहित राशि	बकायों का अंत शेष
2008-09	113.06	7.68	2.24	118.50
2009-10	118.50	17.84	2.00	134.34
2010-11	134.34	36.05	2.48	167.91
2011-12	167.91	18.55	1.39	185.07
2012-13	185.07	3.17	2.77	185.47

(स्रोत: विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि बकायों के शेष में वर्ष 2008–09 की ₹ 118.50 करोड़ से वर्ष 2012–13 में ₹ 185.47 करोड़ की क्रमिक वृद्धि हुई, जो सरकारी बकायों की वसूली में विभागीय पदाधिकारियों की ओर से तत्परता के अभाव को दर्शाता है।

विभाग को राजस्व के बकायों की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

4.5 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान परिवहन विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। पुनः विभाग ने कहा (जुलाई 2013) कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध स्थापित करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

4.6 लेखापरीक्षा का प्रभाव

4.6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने वाहनों पर कर से प्राप्तियों से संबंधित ₹ 288.21 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को इंगित किया। विभाग/सरकार ने ₹ 129.96 करोड़ से सन्निहित मामलों को स्वीकार किया तथा उसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 5.46 करोड़ की राशि वसूल की गई थी, जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका-4.4

(₹ करोड़ में)			
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गई राशि
2007–08	36.18	33.72	5.43
2008–09	57.68	57.68	शून्य
2009–10	20.96	20.39	0.03
2010–11	17.81	17.81	शून्य
2011–12	155.58	0.36	शून्य
कुल	288.21	129.96	5.46

कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

4.6.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007–08 से 2011–12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि इंगित किए जिसमें ₹ 682.13 करोड़ से सन्निहित 1,146 मामले थे। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 488.25 करोड़ से सन्निहित 842 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसमें

पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये मामले भी थे तथा ₹ 1.35 करोड़ की वसूली की गई थी, जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका-4.5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या	आपत्ति किए गए		स्वीकार किए गए		वसूल किए गए	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
2007-08	47	201	141.29	215	142.94	5	0.37
2008-09	46	217	98.30	210	96.04	5	0.98
2009-10	38	310	253.13	295	201.23	शून्य	शून्य
2010-11	48	198	19.04	64	19.43	शून्य	शून्य
2011-12	34	220	170.37	58	28.61	2	0.0024
कुल	213	1,146	682.13	842	488.25	12	1.35

कुल ₹ 488.25 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 1.35 करोड़ (0.28 प्रतिशत) की अल्प वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि, कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

4.6.3 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012-13 की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012-13 में हमने वाहनों पर कर से संबंधित 39 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 15.53 करोड़ से सन्निहित 158 मामलों में राजस्व का कम आरोपण/आरोपण नहीं किया जाना, कम वसूली/वसूली नहीं किया जाना तथा अन्य त्रुटियों का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

तालिका-4.6

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	22	4.12
2	निबंधन के समय तीन पहिया वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया जाना	17	1.27
3	व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना	18	1.18
4	व्यक्तिगत वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली	9	0.69
5	निबंधन के समय ट्रेलर पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया जाना	18	0.76
6	निबंधन के समय मालवाहकों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया जाना	5	0.58
7	बगैर कर भुगतान प्रमाणपत्र के स्टेज मालवाहकों को परमिट की अनुमति	4	0.79
8	बगैर अस्थाई निबंधन के वाहनों को सौंपे जाने के फलस्वरूप राजस्व की हानि	4	2.91
9	अन्य मामले	61	3.23
	कुल	158	15.53

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने 32 मामलों में अंतर्निहित ₹ 2.10 करोड़ के आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1.68 करोड़ से सन्निहित 27 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2008-09 एवं 2012-13 के बीच इंगित किए गए चार मामलों में ₹ 1.03 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया।

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान एक मामले में ₹ 56,584 की वसूली की।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 11.36 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित है।

4.7 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निम्न का आरोपण एवं भुगतान हो:

- वाहन मालिकों द्वारा उचित दरों पर वाहन कर/अतिरिक्त कर;
- निर्धारित अवधि के अन्दर तथा अग्रिम में कर/अतिरिक्त कर तथा
- यदि 90 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर के दुगुना तक अर्थदण्ड।

कुछ मामलों में, जैसा कि कंडिकायें 4.8 से 4.16 में वर्णित हैं, अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 11.36 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि हुई।

वाहन— एक परिचय

निबंधित मोटर वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का एक राष्ट्रीय पंजी तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सुरक्षा एजेन्सियों को महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को 'वाहन'² एवं 'सारथी'³ सॉफ्टवेयर अंगीकार करने का निदेश जारी किया। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। राष्ट्रीय पंजी के अतिरिक्त, इन सॉफ्टवेयर में मोटर वाहनों और लाइसेंसों की राज्य पंजी भी विकसित किया जाना उद्देशित था। यह कम्प्यूटरीकरण प्रयास केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था तथा इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर से एन आई सी द्वारा राज्य परिवहन विभाग के समन्वय से कार्यान्वित किया जाना था।

² वाहनों के निबंधन तथा पथ कर समाधान हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

³ विभिन्न लाइसेंसों के निर्गमन हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

4.8 मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित हुआ है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन होने के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः, करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छुट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तों को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के तहत, 90 दिनों के उपरान्त करों का भुगतान नहीं करने पर बकाये करों के 200 प्रतिशत अर्थदण्ड का विधान है। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, यदि कर या अर्थदण्ड या दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है, तब पदाधिकारी, जो मोटर वाहन निरीक्षक स्तर के नीचे का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया था तथा चूककर्ता वाहन मालिकों को निर्गत की जाने वाली माँग पत्र हेतु समय सीमा भी विहित नहीं किया था।

वर्ष 2011-12 के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियों एवं वाहन डाटाबेस की संवीक्षा की तथा 19 जिला परिवहन कार्यालयों में हमने पाया (जुलाई 2012 और मार्च 2013 के बीच) कि 7,347 नमूना जाँचित परिवहन वाहनों (कुल निबंधित वाहनों की संख्या: 1,34,449) में से 671 परिवहन वाहन मालिकों ने फरवरी

2008 और अप्रैल 2013 के बीच की अवधि से संबंधित ₹ 1.19 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथि के अन्दर नहीं किया, फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्ता वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की। कर के भुगतान से छुट पाने के लिए दस्तावेजों के अभ्यर्पण या मालिकों के पता में परिवर्तन का कोई भी मामला अभिलेख में नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरूप अधिकतम अर्थदण्ड ₹ 2.30 करोड़ सहित ₹ 3.48 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई, जैसा कि परिशिष्ट-X में वर्णित है। पिछले वर्षों में हमलोगों के बार-बार इंगित किये जाने के बावजूद यह जिला परिवहन पदाधिकारियों का वाहन डाटाबेस के क्रियान्वयन के प्रति लापरवाही के साथ ही साथ उच्च प्राधिकारियों के कमजोर अनुश्रवण की ओर इंगित करता है।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार (जुलाई 2013) किया और कहा कि 11 जिला परिवहन कार्यालयों⁵ में 96 वाहन

⁴ अरवल, बेगुसराय, बेतिया (पश्चिमी चम्पारण), भागलपुर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, मधुबनी, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली।

⁵ अरवल, बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी और वैशाली।

मालिकों से कुल ₹ 41.04 लाख की वसूली की गई, आठ जिला परिवहन कार्यालयों⁶ में 162 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 71.04 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले प्रारम्भ किए गये थे और सात जिला परिवहन कार्यालयों⁷ में 304 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 1.74 करोड़ के लिए माँग पत्र निर्गत किया गया था। हम संबंधित मामलों में अग्रेत्तर प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) की कंडिका 4.2 में 'वाहनकरों की वसूली नहीं किये जाने' का उल्लेख किया गया था। विभाग/सरकार ने कहा कि ₹ 4.95 करोड़ की वसूली किया गया था। लोक लेखा समिति ने अनुसंधित (अगस्त 2013) किया था कि विभाग द्वारा बनाया गया वसूली प्रक्रिया एवं इनके परिणाम को सूचित किया जाए। लोक लेखा समिति की अनुशंसा के बावजूद ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई भी सही उपाय नहीं किया गया।

4.9 ट्रेलर से एकमुश्त कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7, जैसाकि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम 8 (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत कृषि संबंधी कार्य के अलावे उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग हेतु रखे गए 3,000 किलोग्राम के निबंधित लदान भार तक के सभी ट्रेलरों द्वारा ₹ 4,000 तथा 3,000 किलोग्राम के निबंधित लदान भार से अधिक के सभी ट्रेलरों द्वारा ₹ 6,000 का एकमुश्त कर का भुगतान किया जाना है। निबंधित ट्रेलरों द्वारा भुगतान एकमुश्त कर की राशि की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद करनी है। इससे पहले 8 अप्रैल 2010 तक 5,000 किलोग्राम के लदान भार वाले ट्रेलरों पर कर का दर प्रति तिमाही ₹ 600 (पथ कर : ₹ 240 तथा अतिरिक्त कर : ₹ 360) था।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के तहत, नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है।

हमलोगों ने वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया और 15 जिला परिवहन कार्यालयों⁸ में पाया (जुलाई 2012 और फरवरी 2013 के बीच) कि 5,271 नमूना जाँचित ट्रेलरों (निबंधित वाहन की कुल संख्या 5,646), में से 519 ट्रेलरों, जिनका निबंधन मार्च 2009 और फरवरी 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम, 8 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अंतर कर की राशि जमा नहीं किया था। विभाग ने उपरोक्त संशोधित

प्रावधानों के अनुसार डाटाबेस में दर को अद्यतन नहीं किया और जिला परिवहन पदाधिकारियों ने भी पंजी में संधारित भुगतान के विवरणों की जाँच वाहन डाटाबेस से नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 44.42 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 63.34 लाख के एक मुश्त कर की कम वसूली हुई, जैसा कि परिशिष्ट—XI में वर्णित है।

⁶ अरवल, बेतिया, भागलपुर, गया, जहानाबाद, नालंदा, सीतामढ़ी और वैशाली।

⁷ अरवल, बेगुसराय, गोपालगंज, मुजफ्फपुर, पटना, पूर्णिया और वैशाली।

⁸ अरवल, बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, भोजपुर (आरा), जहानाबाद, मधुपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी और वैशाली।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि आठ जिला परिवहन कार्यालयों⁹ में 47 वाहन मालिकों से कुल ₹ 6.04 लाख वसूल किए गए थे। छः जिला परिवहन कार्यालयों¹⁰ में 106 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 14.57 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले प्रारम्भ किये गये थे और चार जिला परिवहन कार्यालयों¹¹ में 233 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 25.90 लाख के लिए माँग पत्र जारी किए गए थे। हम इन मामलों में अग्रेतर प्रतिवेदन तथा शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) 2011-12 की कंडिका 4.4 में इंगित इसी तरह के मामलों के उत्तर में विभाग ने कहा था कि माँग पत्र सुजित किया जा चुका था। इसके बावजूद भी इस तरह की कमियाँ/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं, जो राजस्व के बार-बार रिसाव को रोकने के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.10 तीन पहिया वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7, जैसाकि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम 8 (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए निबंधन के समय एक वर्ष की आयु वाले सभी तीन पहिया वाहनों पर सात एवं चार सीटों वाली तीन पहिया वाहनों (चालक को छोड़कर) के लिए एकमुश्त कर क्रमशः ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000 आरोपित किया जाएगा। पूर्व में निबंधित तीन पहिया वाहनों द्वारा भुगतये एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटा कर की जाएगी तथा यदि कर का भुगतान ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000, जैसा भी मामला हो, का भुगतान पूर्व में कर दिया गया है तब एकमुश्त कर भुगतये नहीं होगा। इससे पूर्व 8 अप्रैल 2010 तक तीन पहिया वाहनों पर कर ₹ 248 प्रति तिमाही (पथ कर : ₹ 88 तथा अतिरिक्त कर : ₹ 160) था।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के तहत 90 दिनों से अधिक तक कर का भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत की दर पर अर्थदण्ड भी लगाया जाना है।

हमलोगों ने वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियों/वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया और 15 जिला परिवहन कार्यालयों¹² में पाया (जुलाई 2012 और फरवरी 2013 के बीच) कि नमूना जाँचित 4,753 तीन पहिया वाहनों (निबंधित वाहनों की कुल संख्या 4,811) में से 675 वाहनों, जिनका निबंधन जुलाई 2009 और मार्च 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने 2010 के बिहार वित्त अधिनियम, 8 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अन्तर कर की राशि जमा नहीं किया

था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने उपरोक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया और पंजी में संधारित भुगतान विवरणों की जाँच वाहन डाटाबेस से नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 65.33 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित

⁹ अरवल, बेतिया, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा, पटना, सीतामढ़ी और वैशाली।

¹⁰ अरवल, बेतिया, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा और सीतामढ़ी।

¹¹ बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली।

¹² अरवल, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी और वैशाली।

₹ 91.43 लाख की एक मुश्त कर की कम वसूली की गई, जैसा कि परिशिष्ट—XII में वर्णित है।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि छः जिला परिवहन कार्यालयों¹³ में 42 वाहन मालिकों से कुल ₹ 5.89 लाख की वसूली की गई थी, पाँच जिला परिवहन कार्यालयों¹⁴ में 155 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 23.18 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले शुरू किए गये थे और चार जिला परिवहन कार्यालयों¹⁵ में 230 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 20.64 लाख के लिए माँग पत्र जारी किए गये थे। हमलोग इन मामलों में अग्रेतर प्रतिवेदन और शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 2011—12 की कंडिका 4.5 में इंगित इसी तरह के मामलों के उत्तर में विभाग ने कहा कि माँग पत्र सृजित किया जा चुका था। इसके बावजूद भी इस तरह की कमियाँ/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं, जो राजस्व के बार—बार रिसाव को रोकने के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.11 व्यक्तिगत वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7, जैसा कि बिहार वित्त अधिनियम, 2011 (1 अप्रैल 2011 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत व्यक्तिगत वाहनों पर उसके पूर्ण जीवन काल के लिए निबंधन के समय एकमुश्त कर वाहन के मूल्य (बिक्री कर छोड़कर) का पाँच प्रतिशत के दर पर आरोपित किया जाएगा।

हमलोगों ने वर्ष 2011—12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के निबंधन पंजी/वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया और पाँच जिला परिवहन कार्यालयों¹⁶ में पाया (अगस्त और दिसम्बर 2012 के बीच) कि 597 व्यक्तिगत वाहनों, जिनका निबंधन अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2011 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अंतर कर की राशि जमा नहीं किया था। इस प्रकार जिला

परिवहन पदाधिकारी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सके और निबंधन से पहले के अवधि का कर स्वीकार किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 14.06 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद, सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि वाहन डाटाबेस को भुगतान की तिथि पर उपयुक्त दर से एकमुश्त कर के साथ—साथ निबंधन शुल्क वसूलने के लिए प्रोग्राम किया गया था और प्रक्रिया में बिलम्ब के कारण इन वाहनों का निबंधन 1 अप्रैल 2011 या इसके बाद किया गया था। विभाग का जवाब बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (1) के प्रावधानों के विपरित था जो उपबंधित करता है कि एकमुश्त कर निबंधन के समय विनिर्दिष्ट दर पर आरोपित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र), 2011—12 की कंडिका 4.6 में इसी तरह के मामलों को इंगित किया गया था। इसके बावजूद भी इस तरह की

¹³ बेगुसराय, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा, सीतामढ़ी और वैशाली।

¹⁴ अरवल, भागलपुर, जहानाबाद, नालंदा और सीतामढ़ी।

¹⁵ बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और वैशाली।

¹⁶ बेगुसराय, बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और सीवान।

कमियाँ/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं, जो राजस्व के बार-बार रिसाव को रोकने के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

4.12 माल वाहक वाहनों से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अनुसूची-I के भाग 'ग' के क्रम संख्या-2 के प्रावधानों, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2011 (1 अप्रैल 2011 से प्रभावी) के द्वारा संशोधित है, के अन्तर्गत, ट्रेलर को छोड़कर 1,000 कि०ग्रा० तक निबंधित लदान भार क्षमता वाले माल वाहक वाहनों पर एकमुश्त कर ₹ 7,700 और 1,000 कि०ग्रा० से ऊपर अथवा उसके किसी भाग के लिये परन्तु 3,000 कि०ग्रा० से अधिक नहीं, तक निबंधित लदान भार क्षमता पर ₹ 5,500 प्रति टन, ऐसे वाहनों का प्रथम निबंधन तिथि से दस वर्ष की अवधि के लिए, निबंधन के समय आरोपित किया जाएगा और पहले से निबंधित वाहनों के मामलों में देय अन्तर कर की राशि की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद की जायेगी।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4 (2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत भुगतान में 15 दिनों से अधिक विलम्ब के मामले में, बकाये करों के 25 प्रतिशत से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोप्य है।

अधिनियम के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया और ₹ 28.86 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 43.29 लाख के एकमुश्त कर की वसूली भी नहीं की गई। विभाग ने बिहार वित्त अधिनियम, 2011 के अनुसार वाहन डाटाबेस में दर को संशोधित नहीं किया।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि जिला परिवहन कार्यालय, गया में तीन वाहन मालिकों से कुल ₹ 98,619 की वसूली की गयी थी और 94 वाहन मालिकों के विरुद्ध ₹ 29.83 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले प्रारंभ किए गये थे। हम इन मामलों में अग्रेतर प्रतिवेदन और शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

हमलोगों ने वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान पंजियों/वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया एवं जिला परिवहन कार्यालयों, भोजपुर (आरा) और गया में पाया (फरवरी और मार्च 2013) कि 261 माल वाहक वाहनों में से 131 वाहनों, जिनका अप्रैल 2010 और मार्च 2011 के बीच निबंधन किया गया था, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2011 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अन्तर कर की राशि जमा नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारी उपरोक्त

4.13 ट्रैक्टर से एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7 (8), जैसा कि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के अंतर्गत कृषि संबंधी कार्य के अलावे उपयोग में लाये गए अथवा उपयोग में लाने हेतु रखे गये ट्रैक्टरों पर वाहन के संपूर्ण जीवनकाल के लिए एकमुश्त कर, मुल्यवर्द्धित कर को छोड़कर, वाहन के मुल्य के एक प्रतिशत की दर से आरोपित किया जाएगा, जबकि पहले से ही निबंधित ट्रैक्टरों के द्वारा एकमुश्त कर की गणना, पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद की जाएगी। पूर्व में ट्रैक्टर पर कर ₹ 100 प्रति वर्ष था।

पुनः बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994, के नियम 4 (2) के अंतर्गत नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बकाये करों के 25 और 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है।

उपरोक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार वाहन डाटाबेस में कर को अद्यतन नहीं किया और चूककर्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध बकाया कर हेतु माँग का सृजन भी जिला परिवहन पदाधिकारी ने नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.16 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 7.74 लाख के एकमुश्त कर की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद प्रधान सचिव ने विचार-विमर्श के दौरान कहा (जुलाई 2013) कि ट्रैक्टर और ट्रैलर के लिए राजक्षमा नीति, विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है और मामला वित्त विभाग के साथ विमर्शित किया जाएगा। पुनः सरकार ने जिला परिवहन पदाधिकारी को बकायों की वसूली हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हमलोग इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

हमलोगों ने वर्ष 2011-12 की अवधि के दौरान 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस के कर समाधान तालिका का संवीक्षा किया और जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर (आरा) में पाया (फरवरी 2013) कि नमूना जाँचित 500 ट्रैक्टरों में से 60 ट्रैक्टरों, जिसका निबंधन मार्च 2010 और दिसम्बर 2010 के बीच हुआ था, के मालिकों ने बिहार वित्त अधिनियम, 2010 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार अन्तर कर की राशि जमा नहीं किया था। विभाग ने

4.14 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के निर्माता या व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिए एक व्यवसायी/निर्माता के रूप में, करों का निर्धारित वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा।

नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4(2) के तहत वर्णित प्रावधान के अनुसार बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त ने सितम्बर 2007 में सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को करों की वसूली और व्यापार प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया।

हमलोगों ने वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के निबंधन पंजियों एवं निर्माताओं/व्यवसायियों द्वारा उपलब्ध कराये गये रिटर्न की संवीक्षा किया और सात जिला परिवहन कार्यालयों¹⁷ में पाया (सितम्बर और दिसम्बर 2012 के बीच) कि 277 मोटर वाहन व्यवसायियों में से 12 व्यवसायियों ने अप्रैल 2009 और मार्च 2012 के अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गए 17,544 वाहनों (15,961 दो पहिया और 1,583 तीन/चार पहिया) से संबंधित व्यापार कर या तो विहित दर पर जमा नहीं किया अथवा कम जमा किया।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न के अनुसार व्यापार कर के भुगतान की शुद्धता की जाँच नहीं की। इसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 11.20 लाख के व्यापार कर का नहीं/कम वसूली हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने जिला परिवहन पदाधिकारियों को कर की वसूली के लिए व्यवसायी या निर्माता के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश (जुलाई 2013) दिया। पुनः सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि दो जिला परिवहन कार्यालयों (बेतिया और मुजफ्फरपुर) में तीन व्यवसायियों से कुल ₹ 90,900 की वसूली की गई थी, दो जिला परिवहन कार्यालयों (बेतिया और मुजफ्फरपुर) में तीन व्यवसायियों के विरुद्ध ₹ 3.18 लाख के लिए राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले आरम्भ किये गये थे और दो जिला परिवहन कार्यालयों (पूर्णिया और वैशाली) में तीन व्यवसायियों के विरुद्ध ₹ 4.55 लाख के लिए माँग पत्र जारी किया गया था। हम इन मामलों में आगे की प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र), 2011-12 की कंडिका 4.9 में इसी तरह के मामलों को इंगित किया गया था। इस तरह की कमियाँ/अनियमितताएँ अभी भी जारी है जो राजस्व के बार-बार रिसाव को रोकने के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

¹⁷ बेतिया (पश्चिमी चम्पारण), भागलपुर, मधेपुरा, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण), मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और वैशाली।

4.15 स्टेज वाहनों को परमिट की अनियमित अनुमति

मोटर वाहन अधिनियम 1988, की धारा 66 (1) के तहत एक मोटरवाहन का मालिक तब तक अपने वाहन का उपयोग अथवा सार्वजनिक स्थल पर परिवहन वाहन के रूप में उसके उपयोग की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि वह क्षेत्रीय अथवा राज्य परिवहन प्राधिकार से परमिट प्राप्त नहीं कर लिया हो। पुनः विभाग ने सितम्बर 1991 में परमिट के जारी/नवीकरण से पहले कर का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निदेश भी जारी किया था।

हमलोगों ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय के स्टेज वाहन पंजियों और संचिकाओं का संवीक्षा (नवम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 के बीच) किया और पाया कि कर का भुगतान सुनिश्चित किए बिना 469 स्टेज वाहनों को परमिट प्रदान किया गया था। पुनः हमलोगों ने पाँच जिला परिवहन कार्यालयों¹⁸ में वाहन डाटाबेस के साथ इन वाहनों के कर का भुगतान का तिर्यक जाँच किया और पाया कि 66 स्टेज वाहनों के मालिकों ने जुलाई 2001 और सितम्बर 2011 के बीच की अवधि के

दौरान कर का भुगतान करना बंद कर दिया था, फिर भी वर्ष 2006 और 2012 के बीच इन स्टेज वाहनों को परमिट दिया गया था। यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी स्टेज वाहन को परमिट देने से पहले विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.45 करोड़ का अर्थदण्ड सहित ₹ 5.20 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2013) कि जिला परिवहन कार्यालय, बेगुसराय में एक वाहन मालिक के विरुद्ध ₹ 4.82 लाख के लिये राजस्व वसूली नीलामपत्र मामले प्रारम्भ किया गया था और एक अन्य वाहन मालिक के विरुद्ध ₹ 94,017 हेतु माँग पत्र जारी किया गया था। पुनः विचार विमर्श के दौरान (जुलाई 2013), प्रधान सचिव ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने एवं यथासमय पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश दिया। हम इन मामलों में आगे के प्रतिवेदन एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

¹⁸ बेगुसराय, मोतीहारी (पूर्वी चम्पारण), मुजफ्फरपुर, पटना और वैशाली।

4.16 अस्थायी निबंधन के बिना वाहनों को सौंपे जाने के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 के अनुसार व्यापार प्रमाण-पत्र धारक बिना स्थायी या अस्थायी निबंधन के मोटर वाहनों के खरीददार को मोटर वाहन नहीं देंगे। पुनः मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के अनुसार, धारा 40 में किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन के मालिक निबंधन प्राधिकारी को अथवा दूसरे विहित प्राधिकारी को विहित तरीके से वाहन का अस्थायी निबंधन करने तथा विहित तरीके से निबंधन का अस्थायी निबंधन प्रमाणपत्र एवं अस्थायी निबंधन चिन्ह निर्गत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या 3415 दिनांक 28 जुलाई 2009 के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 43 के प्रावधानों के अनुसार निबंधन प्राधिकारी, व्यवसायी एजेंसियों को उनके माँग पर अस्थायी निबंधन संख्या का ब्लॉक मुहैया कराएंगे।

हमलोगों ने वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए 29 जिला परिवहन कार्यालयों के वाहन डाटाबेस के मालिक तालिका और निबंधन पंजियों की संवीक्षा की और तीन जिला परिवहन कार्यालयों¹⁹ में पाया (अगस्त और अक्टूबर 2012 के बीच) कि जनवरी 2010 और सितम्बर 2012 के बीच की अवधि के दौरान अस्थायी निबंधन चिन्ह दिये बिना व्यापार प्रमाण-पत्र के धारकों ने क्रेताओं को 39,476 वाहन (हल्का मोटर वाहनों: 884 और दो पहिया: 38,592) सौंप दिया। निबंधन प्राधिकारियों (जिला परिवहन पदाधिकारियों) ने विभागीय आदेश एवं अधिनियम/नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए उन वाहनों का स्थायी निबंधन

कर दिया जिन्हें बगैर अस्थायी निबंधन के क्रेताओं को सौंप दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.97 लाख की हानि हुई।

हमलोगों के द्वारा इंगित किए जाने के बाद, सरकार ने कहा (जुलाई 2013) कि मामलों को विमर्शित किया जाएगा और नियम के अनुसार की गयी कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। पुनः, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज और सीवान ने प्रतिवेदित (अगस्त और सितम्बर 2013) किया कि अस्थायी निबंधन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमलोग इन मामलों में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

¹⁹ गोपालगंज, सीवान और वैशाली (हाजीपुर)।